नारी स्वातंत्र्य का वर्तमान परिप्रेक्ष्य

डॉ.ऋतु अग्रवाल
एसोसिएट प्रोफेसर,
भौतिकी विभाग, बरेली कॉलेज,
सम्बद्ध : एम.जे.पी.आर.यू, बरेली उ.प्र

डॉ.अनूप कुमार
प्रोफेसर
वाणिज्य संकाय, बरेली कॉलेज
सम्बद्ध : एम.जे.पी.आर.यू, बरेली उ.प्र

अमूरत

भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन पद्धति में स्वतन्त्र अस्तित्व की अवधारणा नहीं है। सम्बन्धों के ताने–बाने में स्त्री और पुरुष की पहचान की व्यवस्था है। प्राचीन भारत में ऐसे कितने ही प्रमाण मिलते हैं जो यह बताते हैं कि भारतीय समाज में नारी का पूर्ण सम्मान था और उसे परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। नारी को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी परन्तु भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों और फिर मुस्लिम आक्रान्ताओं के क्रूर शासन, तत्पश्चात् दो सौ वर्षों की अंग्रेजी दासता ने भारत में स्त्रियों की स्थिति को कमजोर किया परन्तु देश की आजादी के बाद नारियों की स्थिति में बहुत परिवर्तन आए हैं। इधर पश्चिम में होने वाले नारी मुक्ति आन्दोलनों ने पूरे विश्व सहित भारत में भी स्त्रियों की सामाजिक दशा और दिशा में सुधार को एक दिशा प्रदान की है।

ब्रिटिश काल में भारत सामन्ती मानसिकता से ग्रस्त था जहाँ स्त्री को एक भोग्या के रूप में देखा जाता था, परन्तु भारत की आजादी के पश्चात् भारतीय नारी की स्थिति में क्रान्तिकारी बदलाव हुए हैं। आज हमारे देश की नारियाँ राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रही हैं। आज अनेकों कामकाजी महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतन्त्र जीवन जी रही हैं। आज महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में संतोषजनक प्रगति हुई है। समय के परिवर्तन काल में नारी के योगदान को और अधिक स्वीकृति मिलेगी।

शब्द संक्षेप नारी स्वातंत्र्य, परिप्रेक्ष्य, संस्कृति, आक्रान्ता, जौहर

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन में स्वतन्त्र अस्तित्व की अवधारणा नहीं है। सम्बन्धों के ताने–बाने में स्त्री और पुरुष की पहचान की व्यवस्था है। स्व का उत्सर्ग निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का आधार है। हमारे यहाँ पारस्परिकता और पूरकता की सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय सामाजिक परिदृश्य और सन्दर्भ में अलग से पुरुष या नारी किसी की भी स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं है। 'स्व' का उत्सर्ग निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है। व्यक्ति के समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए उत्सर्ग होने की भावना और अवधारणा है।

प्राचीन भारत में ऐसे कितने ही प्रमाण मिलते हैं जो यह बताते हैं कि भारतीय समाज में नारी का पूर्ण सम्मान था और उसे परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। नारी को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया आदि विदुषियों ने वैदिक युग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

इन जैसे न जाने कितने ही नाम हैं जो कि नारी गौरव की प्रशस्ति करते हैं। भारतीय साहित्य में नारी को हमेशा एक उच्च स्थान प्रदान किया गया है।

परन्तु भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों और फिर मुस्लिम आक्रान्ताओं के क्रूर शासन, तत्पश्चात दो सौ वर्षों की अंग्रेजों की दासता ने भारत में स्त्रियों की स्थिति को कमजोर किया। भारत को गुलामी के जीवन और उन यातनाओं से आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इन दशकों में परिस्थितियाँ बदली हैं, हमारे सोचने समझने का तरीका बदला है। स्वतन्त्रता के नाम पर सर्वाधिक चर्चा स्त्री स्वातंत्र्य की होती है। स्वतन्त्रता के नाम पर एक वर्ग विशेष की अकुलाहट है, जो पिछले पाँच सौ वर्षों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए व्याकुल है। जिस देश में नारी को देवी सा महत्व दिया जाता था, उनके विविध स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती थी, उसी देश में वह आज बराबरी का दर्जा पाने को व्याुकल है। यह ठीक है कि स्त्री आबादी का एक बहुत बड़ा तबका अशिक्षा, अज्ञानता और गरीबी के कारण शोषण का शिकार है, और उसको उन परिस्थितियों से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हम सभी की है, परन्तु जब स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता की ओर बढ़ने लगती है तो फिर उसके परिणाम समाज, परिवार और उस व्यक्ति, सभी के लिए घातक हो सकते हैं। वर्तमान नारी स्वातंत्र्य की आवाज़ मुख्यता पश्चिम से उठ रही है। जिसका पूर्व मात्र अन्धा अनुकरण कर रहा है। कहीं स्वतन्त्रता का अर्थ बच्चों से मुक्ति, परिवार से मुक्ति और सहज पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों से मुक्ति के रूप में तो नहीं देखा जा रहा है ? यह अन्धी भाग दौड़ हमारे समाज को गहरी खाई में धकेल रही है। मूल्य विहीन आपा–धापी हमें अपनी ही जड़ों से काट रही है।

पूर्व वैदिक, वैदिक तथा मध्यकाल में नारी स्वातन्त्रय की स्थिति

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति जानने का आधार मुख्य रूप से उनका सामाजिक आदर, शिक्षा व्यवस्था, परिवार में स्थान, लैंगिक भेदभाव का न होना, रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं का न होना, आर्थिक संसाधनों पर नियन्त्रण, निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग एवं स्वतन्त्रता आदि में निहित होता है।

वैदिक काल के अध्ययन में हम पाते हैं कि महिलाओं को शिक्षा पाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। स्त्रियाँ कृषि कार्यों तथा अस्त्र–शस्त्र निर्माण कार्यों आदि में भी भाग लेती थीं। वेद–पुराण अध्ययन, शास्त्रार्थ करने, धार्मिक एवं सामाजिक कृत्यों में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इस समय में गार्गी, मैत्रेयी, इन्द्राणी, लोपामुद्रा, सर्वराज्ञी, घोषा, अपाला तथा उर्वशी जैसी विदुषी महिलाओं के नाम आते हैं।

उत्तर–वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में कुछ परिवर्तन के चिह्न दृष्टिगत होते हैं। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए घरेलू कार्य करने तथा पति सेवा पर जोर दिया गया। वेद अध्ययन की जगह संगीत, नृत्य, चित्रकला व अन्य ललित कलाओं को सीखने पर अधिक जोर दिया जाने लगा। विवाह की आयु भी कम की गई। कम आयु में विवाह के कारण स्त्रियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती थीं। उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न नहीं हो पाती थी। वे धन और सुरक्षा के लिए पुरूषों पर आश्रित थीं। साधारण समाज में स्त्रियों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी परन्तु उच्च परिवारों में इनकी स्थिति काफी अच्छी थी। इस काल की शील, भट्टारिका, अपने शब्द और अर्थ के सामंजस्य

और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। कतिपय महिलाओं ने आयुर्वेद पर पांडित्यपूर्ण और प्रामाणिक रचनाएं की हैं, जिनमें रूसा भी एक प्रसिद्ध नाम है।

जैन तथा बौद्ध धर्मो ने स्त्रियों की शिक्षा का पूर्ण रूपेण समर्थन किया और स्त्री–पुरूष की समानता पर बल दिया। महावीर तथा बुद्ध ने संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ये धर्म और दर्शन के अध्ययन मनन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं। जैन तथा बौद्ध साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुछ भिक्षुणियों ने साहित्य तथा शिक्षा के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनमें सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का नाम उल्लेखनीय है जो धर्म प्रचार के लिए सिंघल देश की यात्रा पर भी गई। जैन साहित्य से जयन्ती का पता चलता है, जिन्होंने धर्म और दर्शन का अध्ययन करते हुए, आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया और भिक्षुणी बन गईं।

इस प्रकार वैदिक काल के पूर्व भाग में स्त्रियों की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में कुछ गिरावट आई, फिर भी उन्हें अभी भी सम्मान प्राप्त था।

मध्यकाल में 7 वीं शताब्दी के अंत में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया जिसके साथ ही देश में मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। इसी युग में विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए स्त्रियाँ जौहर की अग्नि में भस्म होने लगीं। इस युग में अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। उनमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने समाज को चारों ओर से जकड़ लिया।

अठाहरवीं शताब्दी से भारत की आजादी तक नारी स्वातन्त्रय की स्थिति

भारत में स्वतंत्रता से पहले का समय ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का समय था। यह 18 वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ था। 200 वर्षो तक भारत अंग्रेजों के आधिपत्य में रहा। मुगलकाल में जो महिलाओं की स्थिति थी कमोवेश वही अंग्रेजों के शासन में भी बनी रही। मुगलकाल के बाद ही भारत पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था। इस समय भी बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध, एवं सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में अपनी पकड़ बनाए हुए थीं।

ब्रिटिश शासन को विरासत में सामंतवादी समाज मिला। इस व्यवस्था में महिला भोग की वस्तु समझी गई। धार्मिक नीतियों और सिद्धान्तों ने पहले ही महिला के पैरों में बेड़ियाँ डाल रखी थीं।

ब्रिटिश काल में सामन्ती व्यवस्था एक तरफ थी और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी नीतियां। ऐसे में महिलाएं तो पहले से ही पुरुष पर निर्भर थीं तो वह उन्नति कैसे कर सकती थीं। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति का दमन करना था और अपनी संस्कृति का आवरण चढ़ा कर अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता सिद्ध करनी थी, ऐसा करने में वह काफी हद तक सफल भी रहे। मुगलकाल की सतायी हुई महिला आज भी घर के परकोटे में अपने जीवन की त्रासदी भोग ही रही थी। वह सारे अधिकारों से वंचित होकर पुरूष की भोग्या बन कर रह गई थी। भारतीय इतिहास में 18 वीं सदी का समय घोर अवनति एवं अधोगति का समय था। आंग्ल शासन व्यवस्था दिनोंदिन अपनी सत्ता को मजबूत कर रही थी। भारत अपने प्राचीन गौरव को खो

चुका था। यह युग परधीनता का युग था। ब्रिटिश शासन काल में हमारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यववस्थाओं में अनेक परिवर्तन हुए, परन्तु महिलाएं शोषित बनी रहीं। महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की स्त्रियाँ शिक्षा, नौकरी, सम्पत्ति के अधिकार सहित मताधिकार, एबॉर्शन एवं अन्य नागरिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत थीं। उन्होंने काफी हद तक सफलता भी पाई, लेकिन उनकी नागरिकता दोयम दर्जे की ही थी। पश्चिमी देशों से प्रारंभ हुई नारी अधिकारों की आवाज से प्रभावित हो कर भारत के समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले ने भारत में भी स्त्री अधिकारों और भारतीय समाज में उनकी स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास किए एवं ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से उसमें काफी हद तक सफलता भी पाई।

उन्नीसवीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त सती प्रथा जैसी अमानवीय एवं वीभत्स कुरीति के विरूद्ध समाज को जागरूक किया, जिसमें इंग्लैण्ड के ईसाई मिशनरी विलियम कैरी ने उनका साथ दिया। वह विधवा पुर्नविवाह के भी समर्थक थे। अन्ततः 4 दिसम्बर 1829 को राजा राम मोहन राय के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरूद्ध कानून पारित करके इस कुप्रथा को सम्पूर्ण भारत में गैरकानूनी घोषित कर दिया।

उधर महारष्ट्र में ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्री वाई फुले समाज में महिलाओं और विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए गहन प्रयास कर रहे थे। ज्योतिबा फुले का मानना था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार शिक्षा के द्वारा ही संभव है इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी को शिक्षित किया, तत्पश्चात दोनों ने मिलकर अगस्त, 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए प्रथम स्कूल खोला। इसी क्रम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, जिन्होंनें बंगाल में नारी उत्थान के लिए बहुत काम किया। वह भी नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और उनके प्रयासों से बंगाल में विभिन्न स्थानों पर कई सारे बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। लेकिन उनका सबसे बड़ा कार्य जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है, वह था विधवा पुनर्विवाह के लिए समाज को जागृत करना और उसके लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित कराना था।

साथ ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी समाज के उच्च–मध्यम वर्ग की कतिपय महिलाओं का भी उल्लेखनीय योगदान रहा, जिन्होंने घर की चारदीवारी से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में पुरूषों के साथ बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। उनमें जहाँ उन्नीसवीं सदी की राजघरानों से निकली स्त्रियाँ जैसे भीमा बाई होल्कर किट्टूर की रानी चिनम्मा, बेगम हज़रत महल, बेगम ज़ीनत महल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई थीं तो बीसवीं सदी की शिक्षित एवं संपन्न परिवारों से आई महिलाएं जैसे कस्तूरबा गाँधी, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरूणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा, कमला चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कनकलता बरूआ, ऊषा मेहता, हंसा मेहता आदि थीं।

तो उन्नीसवीं सदी को हम नारी जागरण का शैशव काल कह सकते हैं। परंतु इन सब सुधारों के बावजूद आम भारतीय महिला की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया।

महिलाओं को आर्थिक आजादी से अभी भी वंचित रखा गया। महिलाओं को न केवल संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में से हिस्सा देने से वंचित किया गया अपितु अपने पिता की संपत्ति में से भी उसे कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। पत्नी पति के परिवार का अंग हो गयी और विधवाओं को मृत तुल्य मान कर समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। किसी भी महिला को धन की कितनी ही आवश्यकता क्यों न हो, परन्तु कोई भी आर्थिक क्रिया करना उनके स्त्रीत्व और कुलीनता के विरूद्ध मान लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उसे बड़े अमानवीय व्यवहार के बावजूद पुरूष की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जैसी कुरीतियाँ समाज में अभी भी विद्यमान थीं। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में किसी महिला का आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होना तो असम्भव जैसा ही था।

वर्तमान सन्दर्भ में नारी स्वातंत्र्य

परन्तु भारत की आजादी के पश्चात भारतीय नारी की स्थिति में क्रांन्तिकारी बदलाव हुए हैं। आज नारी घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के बहुआयामी विकास में अमूल्य योगदान देने लगी। आज हमारे देश की नारियाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। आक्रान्ताओं के आने के काल से शोषित एवं पद्दलित नारी पुरूष प्रधान समाज के प्रभाव से मुक्त होकर, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दासता से निकलकर एक स्वतंत्र एवं उर्ध्वगामी जीवन प्राप्त कर रही हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नारियों में सामाजिक जागृति की एक नई लहर उत्पन्न हुई। आज अनेकों महिलाएं सामाजिक संगठनों व समितियों की सदस्य बनकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी बहुतपरिवर्तन आए हैं। अनगिनत महिलाएं आज विभिन्न बड़े–बड़े पदों पर कार्य कर रही हैं। आज वह किसी न किसी रूप में कार्य कर रही हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जी रही है। आज नारी विविध सेवाओं के क्षेत्र में सुशोभित है।

नारी स्वातंत्र्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन

स्त्री का शोषण कौन करता है, क्या पुरुष? या स्त्री भी? या कोई और भी? ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का शोषण सिर्फ पुरुष वर्ग ने ही किया, पुरुष से ज्यादा तो स्त्री का शोषण कई बार स्वयं स्त्रियाँ ही करती नज़र आती हैं। पुरुष की उद्दण्डता, उच्छृंखलता और अहम के कारण या स्त्री की अशिक्षा, विनम्रता और स्त्री सुलभ उदारता के कारण उसे प्रताड़ित, अपमानित और उपेक्षित होना पड़ता है। स्त्रियों ने ही प्रथम सभ्यता की नींव डाली है और उन्होंने ही जंगलों में मारे–मारे भटकते हुए पुरुष को हाथ पकड़ कर घर में बसाया। भारत में सैद्धान्तिक रूप से स्त्रियों को उच्च दर्जा प्राप्त

है। हिन्दू आदर्श के अनुसार स्त्रियाँ अर्धांगिनी कही गयी हैं। मातृत्व का आदर भारतीय समाज की विशेषता है। संसार की ईश्वरीय शक्ति के रूप में दुर्गा, लक्ष्मी एवं सरस्वती क्रमशः शक्ति, धन व ज्ञान का प्रतीक मानी गयी हैं।

परन्तु आज बढ़ते बाजारवाद ने कहीं न कहीं नारी की युगों पुरानी गरिमा को कलंकित करने का काम भी किया है।

बीसवीं सदी के मध्य से महिला सशक्तीकरण एक सर्वमान्य मुद्दा बना हुआ है। लेकिन साथ ही मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस टोकियो, मिस अमेरिका ही नहीं, शहर–शहर, स्कूल कॉलेज, कार्य संस्थानों हर जगह पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयेजित की जा रही हैं, जो स्त्री के बाह्य आवरण, उसके शरीर को केन्द्र में रखते हुए आयोजित की जा रही हैं। एक पूरा एजेण्डा निर्धारित है। हर बार अलग–अलग क्षेत्रों, अलग–अलग राष्ट्रों, अलग–अलग महाद्वीपों, अलग–अलग नस्लों और अलग–अलग भाषाओं का ध्यान रखते हुए इन प्रतिभागी महिलाओं को चुना जाता है। जिसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में महिलाएं अपने शरीर, अपने बाह्य आवरण को सुन्दर बनाने के लिए जी जान से लग जाएं। ऐसा हुआ तो महँगे कपड़ों, महँगे सौन्दर्य प्रसाधनों की माँग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। यह बाजार यहीं पर नहीं रुकेगा। यह विश्व विजेता महिलाएं जिस भी वस्तु का विज्ञापन करेंगी वह वस्तु, वह ब्रान्ड अन्य सामान्य महिलाएं भी खरीदने लगेंगी। फिर चाहे नेल पॉलिश हो, या सूर्य की गर्मी से बचाने वाली क्रीम हो, चेहरे को गोरा या आकर्षक बनाने वाली क्रीम हो या नहाने का साबुन, किसी विशिष्ट कम्पनी या ब्रान्ड की ज्वैलरी हो या किसी डिजाइनर के बने कपड़े हों, किसी विशिष्ट कम्पनी के बने हुए अन्तः वस्त्र हों या किसी खास कम्पनी के बने हुए किचिन उत्पाद, किसी खास ब्रान्ड का खाने का सामान हो या शराब की बोतल, सब कुछ बिकेगा। पूँजी वाद का काम करने का यही एक खास पैटर्न होता है। पहले किसी को बहुत प्रसिद्ध बनाओ और फिर उसके माध्यम से अपने माल को बिकवाओ।

यह एक पूरा चक्र है जो महिला सशक्तीकरण, महिला सौन्दर्य और महिला अस्मिता की तीलियों पर चलता हुआ अन्ततः बाजार सशक्तीकरण तक जाता है। महिला सशक्तीकरण को कहीं न कहीं महिला के शारीरिक सौन्दर्य से जोड़ा गया। पूँजीवादी व्यवस्था के नव–पूँजीवादियों ने नारी सुन्दरता के विज्ञापन प्रदर्शन को बाजार व प्रचार का प्रमुख मसाला बना दिया। इसी के फलस्वरूप नारी की दैहिक सुन्दरता और उसके प्रतिमान कतिपय महिलाओं के आदर्श भी बनते गये।

मध्ययुग में सामन्ती मालिकों ने नारी और उसकी दैहिक सुन्दरता को अपने भोग–विलास के रूप में अपनाने का काम किया। उनके चारणों ने वैसे ही वर्णन लेखन को प्रमुखता दी। वर्तमान में पूँजीपतियों और व्यापार के धनाढ्य मालिकों ने नारी सुन्दरता को अपने सामानों के प्रचार–प्रसार का प्रमुख हथकंडा बना लिया। उन्होंने पुरूष मानस में नारी की दैहिक सुन्दरता के प्रति बैठे सदियों पुरानी भावनााओं और प्रवृत्तियों का इस्तेमाल अपने सामानों के विज्ञापनों एवं प्रचारों को बढ़ाने में किया।

नारी सौन्दर्य के प्रदर्शन के साथ यौन सम्बन्धों का खुले रूप में बढ़ाया जाना अल्प वयस्कों और युवाओं को सेक्स अपराध की ओर बढाता है। शराबखोरी और ड्रग एडिक्शन की तरह इसे एक

नशे की तरह आम समाज में उतारा जा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक बाजारवादी युग ने घर परिवार के दायरे में सिमटी नारी को उससे बाहर निकलने का अवसर प्रदान किया है। लेकिन इसी के साथ बाजार के धनाढ्य मालिकों ने नारी के जननी होने की युगों पुरानी गरिमा को गिराने और कलंकित करने का काम भी किया है। उसकी दैहिक सुन्दरता को कम से कम वस्त्रों में दिखा कर उसे भोग्या के रूप में प्रस्तुत किया है। उसकी उस देह में विद्यमान उसकी श्रमशीलता और मातृत्व को महत्वहीन करने का काम किया है। उसे भोग्या के रूप में एक असुरक्षित नारी बनाने का कार्य किया है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए हम अराजक तत्वों को दोषी मान कर मात्र उनके खिलाफ ही कुछ कानूनी कार्यवाही करते हैं। परन्तु यह मामला मात्र यहीं तक ही सीमित नहीं है। इन परिस्थितियों को उत्पन्न करने में बढ़ती हुई उपभोक्ता वादी अपसंस्कृति भी जिम्मेदार है, जिसने नारी को उपभोग की एक सामग्री या एक बाजारू सामान के रूप में प्रस्तुत किया है। नारी की इस बाजार प्रस्तुति का विरोध किए बिना वास्तविक नारी सशक्तीकरण और नारी स्वातन्त्रय सम्भव नहीं है।

खूबसूरत दिखने की चाहत कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सब कुछ भूल कर सिर्फ खूबसूरत दिखने की बात अवश्य चिन्तनीय है। महिलाओं को सौन्दर्य के इन ऊल–जुलूल मानकों को चुनौती देनी चाहिए, और हाल के वर्षो में अधिकाधिक महिलाओं द्वारा अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमताओं के द्वारा ऐसा किया भी जा रहा है, तभी आज के विज्ञापनों में भी वह परिवर्तन परिलक्षित होता है, जहाँ स्त्रियों को मात्र सजावट की वस्तु न दिखाकर एक शक्तिशाली, कामकाजी महिला के रूप में अधिकतर दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब स्त्री को भी और बाजार को भी यह समझ आ गया है कि एक स्त्री का असली सशक्तीकरण उसके बुद्धि कौशल से ही हो सकता है न कि सौन्दर्य के प्रतिमानों पर खरा उतर कर। बुद्धि कौशल के साथ श्रम को भी अनिवार्य रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। सच तो यह है कि बुद्धि कौशल और श्रम बल ने मिलकर ही किसी परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

आज की नारी यह बात भंली भांति समझ चुकी है कि सशक्त होने के लिए उच्च शिक्षित होना और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष

आज महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। वह अपने घर की चार–दीवरी तक सीमित न होकर, खुले वातावरण में कभी भी, कहीं भी आ जा सकती है। आज शिक्षा ने नारी स्वतंत्रता एवं नारी सम्बर्द्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज स्त्रियों का काम करने का मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन एवं समय का सद्उपयोग है। आज स्त्रियाँ मानसिक उन्नति के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक उन्नयन पर भी बहुत ध्यान दे रही हैं। आज की नारी परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। समय के साथ–साथ नारियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है। आशा और पूर्ण विश्वास है कि समय के परिवर्तन काल में नारी के योगदान को और अधिक स्वीकृति मिलेगी। नारी परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना और अधिक महती योगदान प्रदान करेगी।

सन्दर्भ सूची

1) सामाजिक समस्याएं ; राम आहूजा, रावत पब्लीकेशन्स, 2016
2) पंचायतीराज और महिला विकास ;मधु, राठौर, 2010, सूचक प्रकाशक
3) स्वतंत्र भारत में नारी की स्थिति डॉ. वी. सेन गुप्ता, आर. के. पाण्डे, संबद्ध शिक्षा में एडवांस और स्कॉलरली रिसर्च जर्नल. 2. (1) : जनवरी- मार्च] 2014; पृष्ठ71-72, ऐनवीप्रकाशन.आर्ग
4) नारी स्वातंत्र्य की अवधारणा ; डॉ0 श्रीमती कमल कुमार, देशबन्धु, 2012.03.04 www.deshbandhu.co.in
5) महिला सशक्तीकरण और बाजारीकरण ; सुमन मीणा, प्रिन्टिंग एरिया, **मुद्दा**85**वो.** 01, जनवरी2022, **वो.**0151-0153
6) ब्रिटिश राज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन, रूपा कुमारी, विवेकानन्द शुक्ला, संबद्ध शिक्षा में एडवांस और स्कॉलरली रिसर्च जर्नल. **वो.**IX, **मुद्दानं**.XVII, जनवरी 2015, ISSN2230-7540
7) ''भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति की वैदिक तथा मध्यकाल की स्थिति की तुलनात्मक सामाजिक विवेचना'' ; बाला देवी ;संबद्ध शिक्षा में एडवांस और स्कॉलरली रिसर्च जर्नल.**वो.**XV, **मुद्दानं**. 1, अप्रैल2018, ISSN 2230 -7540